

Information regarding Distt. Industries Centre, Rohtak

Subject:- Information for Web site of Rohtak District.

• Name of office: Joint Director,
District. Industries Centre,
Hisar Road, Rohtak
 &
District. Registrar,
Firms & Societies,
District Industries Centre,
Rohtak.

• Organizational Structure: Joint Director

 Deputy Director

Dy. Superintendent	Incl. Extension Officer	Field Invertigator
Assistants	Steno	Clerks
Driver	Peons	

• Contact Details :- Telephone No. 248792(O)
 272694(R)

• Details of Services/ Provided/schemes implemented and their procedure adopted:-

Sponsoring of loan applications of educated unemployed youth under PMEGP Scheme.

MSME Registration of Manufacturing/ servicing activities

- i) Incentives to MSME units i.e. Electricity Duty Exemption, Deferment of Sales Tax to New Units Under Vat.
- ii) Registration of Societies Under Societies Registration Act, 1860.
- iii) Registration of Partnership Firms Under Indian Partnership Act, 1932.

- Statistical details indicating status of various activities related with our department/Office:-

a) Sponsoring of PMEGP Cases

<u>Total No. of Cases Sponsored up to 31.3.11</u>	<u>No. of Cases Sanctioned No. Amt.(Margin Money in lacs)</u>	<u>No. of Cases Disbursed No. Amt (Margin in Lacs)</u>
46	35 59.31	31 50.74

No. of applicant Trained
31

(b) Total No. of Units Registered up to 31.3.11
1335 During the year i.e.
46

(c) Total No. of Large & Medium Units
up to 31.3.2011
15 During the year(2010-11)
1

(d) Registration of Firms & Societies
i) Societies under Act, 1860
Total No.
4290 During the year(2010-11)
279

ii) Partnership Firms
Partner ship Firms under Partnership Act, 1932
Total No.
7178 During the year (2010-11)
187

New Scheme of Interest Free Loan Under Value Added Tax Act, 2003
Total No. of Cases
Nil During the year
1

- List and soft copy of various forms available and used in our department/Office

- (1) MSME Act 2006
- (2) Societies Act 1860
- (3) Indian Partnership Act, 1932
- (4) New Scheme of Interest Added Tax Act, 2003
- (5) Scheme of PMEGP

- Reports/Acts/Rules/Guidelines/Policies applicable
As above in 7 Enclosed.

- FAQ (most frequently asked questions/queries raised by people coming to our office):-

- (1) Regarding Loan Under PMEGP Scheme.
- (2) Regarding Registration of Societies
- (3) Regarding Registration of Partnership
- (4) Regarding Registration of under MSME.
- (5) Regarding availability of Industrial Plots.
- (6) Regarding incentives Provided to the Inds. by State Govt.

- List of Officers responsible for RTI viz. PIOs and APIOs

PIO	:	SH. R.S. Sankhla Joint Director
APIOs	:	Sh. Rajinder Singh IEO

- **Detail of E-Mail address.**

ipcharyana@yahoo.com
jddicrohtak@rediffmail.com

विषय:- जिला रोहतक की वेबसाईट के लिए जिला उद्योग केन्द्र से सम्बन्धित सूचना।

कार्यालय का नाम: संयुक्त निदेशक,
जिला उद्योग केन्द्र,
हिसार रोड, रोहतक एवम

जिला रजिस्ट्रार,
फर्मस एवं सोसायटीज,
जिला उद्योग केन्द्र, रोहतक।

कार्यालय की संरचना संयुक्त निदेशक
उप-निदेशक

उप-अधीक्षक	औद्योगिक विस्तार अधिकारी	फील्ड इन्वेस्टीगेटर
सहायक	आशुलिपिक	लिपिक
चालक	सेवादार	
सम्पर्क सूचना	दूरभाष न0 248792 (कार्यालय) 272694 (निवास)	

कार्यालय द्वारा लागू की जा रही व सेवा जो प्रदान की जा रही है।

- 1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अर्न्तगत पढे-लिखे बेराजगार युवकों को बैंकों के माध्यम से ऋण के लिए सिफारिश करना।
- 2 एम.एस.एम.ई. के अर्न्तगत निर्माण व सेवा से सम्बन्धित इकाईयों का पंजीकरण करना।
- 3 एम.एस.एम.ई. इकाईयों को बिजली कर में छूट व नई इकाईयों को वैट के तहत सेल्ज टैक्स की डेफरमेन्ट देना।
- 4 सोसायटी एक्ट, 1860 के अर्न्तगत सोसायटियों का पंजीकरण करना।
- 5 साझेदारी एक्ट 1932 के अर्न्तगत साक्षेदारी फर्मों का पंजीकरण करना।

कार्यालय से सम्बन्धित सूचना/जानकारी नीचे दी जा रही है।

क) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अर्न्तगत सूचना।

कुल प्रेषित किये गये केषों की संख्या

46

प्रशिक्षित किये गये युवक व युवतियों की संख्या

31

मंजूर किये गये केषों की संख्या व स्वीकृत पैसा

35 59.31लाख रूपये

वितरित किये गये केषों की संख्या व पैसा

31 50.74लाख रूपये

ख) औद्योगिक इकाईयों का पंजीकरण वर्ष 31.3.2011 तक (एम.एस.एम.ई.) 1335	वर्ष 2010-11 के दौरान 46
ग) जिले में मध्यम व बड़ी इकाईयां वर्ष 31.3.2011 तक 15	वर्ष 2010-11 के दौरान 1
घ) फर्म व सोसायटी का पंजीकरण एक्ट 1860 के अर्न्तगत कुल सोसायटियों का पंजीकरण 4290	वर्ष 2010-11के अर्न्तगत पंजीकरण 279
साझेदारी फर्मों का एक्ट 1932 के अर्न्तगत पंजीकरण 7178	वर्ष 2010-11के अर्न्तगत पंजीकरण 187
वैल्यु एडिड टैक्स एक्ट 2003 के अर्न्तगत सुविधा देने बारे कुल केसिज —	वर्ष 2010-11के अर्न्तगत पंजीकरण 1

• कार्यालय में उपलब्ध स्कीमों के फार्म व सूचना

- 1 एम.एस.एम.ई. एक्ट 2006 के अर्न्तगत पंजीकरण का फार्म।
- 2 सोसायटी एक्ट 1860, के अर्न्तगत पंजीकरण का फार्म।
- 3 भारतीय साझेदारी एक्ट 1932 के तहत पंजीकरण का फार्म।
- 4 वैल्यु एडिड टैक्स एक्ट 2003 के अर्न्तगत सुविधा देने बारे का फार्म।
- 5 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का फार्म।

• मुख्य रूप से कार्यालय में ज्यादातर स्कीमों के बारे में आम लोगों द्वारा पुछे गये स्कीमों के बारे में।

- 1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्कीम के बारे में।
- 2 सोसायटी एक्ट 1860, के अर्न्तगत पंजीकरण का फार्म।

• सूचना के अधिकार के अर्न्तगत जिम्मेवार अधिकारी के बारे में।

- 1 श्री आर.एस. सांखला, संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतक।
- 2 श्री राजेन्द्र सिंह, विस्तार अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतक।

उद्योग विभाग से जानकारी के लिए निम्न ई मेल पता नीचे दिया जा रहा है।

ipcharyana@yahoo.com
jddicrohtak@rediffmail.com